2014/00025

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास अनिल गुप्ता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या **10/14** राजस्व विविध

सोहनराम पुत्र पेमाराम मेघवाल निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर

—प्रार्थी

: ब ना म :

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. स्टेट ऑफ राजस्थान
2. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.रा.ऊ.मा.खण्ड 15 बीकानेर
3. मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. जयपुर
4. तहसीलदार (राजस्व), कोलायत
5. सहायक अभियन्ता सी.पी.डब्ल्यू.डी. रा.उ.मा.न.15 कोलायत

—अप्रार्थी

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 202/10 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.12 की अनुपालना में सुनवाई बाबत प्राप्त प्रकरण

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बच्छराज कोठारी उपस्थित।
2. स्टेट की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की और से अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत उपस्थित।

न्यायालय जिला कलेक्टर बीकानेर (राज.)

: आदेश :

दिनांक 06.12.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में नेशनल हाईवे नम्बर 15 में आई खातेदारी भूमि के मुआवजे बाबत याचिका संख्या 202/10 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.12 को निर्णय पारित करते हुए जिला कलक्टर को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी विधिवत जांच की जाकर मुआवजा राशि बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

जिला कलक्टर, बीकानेर

3. प्रार्थी की और से मुआवजा के संबंध में क्लेम प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की **पुराना ख.नं. 140 की तादादी 4 बीधा 10 बिस्वा मोजा रोही दियातरा में स्थित है। उक्त भूमि में से 2 बीधा 5 बिस्वा भूमि पर नेशनल हाईवे नं. 15 सडक बनाई गई है। भूमि की इस समय डी.एल.सी.दर 1,64,450/— प्रति बीधा व बाजार दर पांच लाख रूपये** प्रति बीधा से ज्यादा है। अप्रार्थीगण ने बिना अवाप्ति की कार्यवाही किये गैर कानूनी तरीके से सड़क निर्माण कर लिया है, जिससे प्रार्थी वर्षो से फसल व अन्य सुविधाओं से वंचित रहा है, अतः प्रार्थी को मुआवजे पर 30 प्रतिशत सोलेशियम तथा सोलेशियम पर 12 प्रतिशत ब्याज व भूमि आवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत बाजार कीमत से चार गुणा राशि दिलवाई जावे।

4. अप्रार्थी स्टेट व राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण की और से जवाब पेश हुआ। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने क्लेम प्रार्थना–पत्र एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि नियमानुसार आवाप्ति की कार्यवाही किये बिना तथा किसी प्रकार का मुआवजा दिये बिना राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष सभी उत्तरवादीगण ने यह स्वीकार किया है कि राज मार्ग नं. 15 की सड़क का निर्माण प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर किया गया है, लेकिन मुआवजा आज–तक नहीं दिया गया है। मिसल बंदोबस्त 2005 में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज होना स्वीकार किया गया है, जो बाद में जरिये इंतकाल राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज की है। जबसे सडक निर्माण प्रारम्भ हुआ है तब से प्रार्थी मुआवजे की मांग कर रहा है। प्रार्थी के प्रकरण में राज्य सरकार का पत्रांक 1(113)राज.6115 दिनांक 09.5.16 लागू नहीं होता है, ना ही राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम,1955 की धारा 61 के प्रावधान लागू होते है, और नाही राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) के प्रावधान लागू होते है। प्रार्थी के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में कोई कार्यवाही पेंडिग नहीं है। राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग, 1956 के प्रावधान लागू होते है, लेकिन मुआवजा निर्धारण हेतु The Right to fair compensation and Transparency in land acquisition, rehebitation and resettlement Act 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित कर मुआवजा दिलवाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. इसके विपरीत स्टेट की और से उपस्थित राजपैरोकार ने निवेदन किया कि मिसल बंदोबस्त ग्राम दियातरा 2005 **खातोनी नं. 21 पर खसरा नं. 140 में 1 बीधा 10 बिस्वा** भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, जो कोलायत की और जाता है वह दो गट्ठा चौड़ा है। राजस्व अभिलेख में भूमि सड़क में तब्दीली का अंकन नहीं हुआ है। स्टेट टाईम से जो रास्ता चल रहा है वह आज भी कायम है। आवाप्ति की कार्यवाही नहीं हुई है।

7. सार्वजनिक निर्माण विभाग रा.ऊ.मा.खण्ड, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 बीकानेर–जैसलमेर वाया दियातरा 1972 से पहले रियासत काल से चला आ रहा है। यह सड़क पूर्व में कच्ची थी, धीरे–धीरे डामर सडक बन गई और उसके बाद स्टेट हाईवे कहलाती थी। सड़क का सिर्फ नाम बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग धोषित होने के 41 वर्ष पश्चात् वाद प्रस्तुत करना नियम विरूद्ध है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि ग्राम दियातरा तहसील कोलायत में एन.एच.15 पर स्थित राजमार्ग की भूमि को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांकःअअबी/राऊमा/15–16/1001 दिनांक 10.9.15 के द्वारा सोंपे गये एन.एच. 15 की स्थानान्तरण रिपोर्ट में एन.एच.15 पर 45 मीटर चौडी राईट ऑफ वे भूमि राजमार्ग दर्शाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के विस्तारिकरण में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होने के कारण इस ग्राम में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 राजाओं के समय से चला आरहा है, जो पहले स्टेट हाईवे के नाम से जाना जाता था, बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग कर दिया गया। राजस्व रेकर्ड में शुरू से ही यह भूमि गैरमुमकिन रास्ता चली आ रही है। भूमि काश्त योग्य नहीं थी व ना ही भूमि अवाप्त की गई। पुराने उच्च मार्ग जो अनेकों वर्षो से चलन में है, उन भूमियों का नामान्तरकरण MORT & H के नाम नहीं होने से भू–स्वामी प्रतिकर की मांग कर रहे है। राजस्थान–सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा माननीय राजस्व मण्डल से टिप्पणी मांगी गई "ऐसे मामले जिसमें खातेदारों ने अपनी भूमि स्वेच्छा से राजमार्ग हेतु प्रयोग में लाये जाने के लिये कोई आपति नहीं की है और स्वेच्छा से भूमि परित्याग करदी है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 60 की उपधारा (4) के अनुसार यह उपधारण किया जाना उचित है कि उनके द्वारा खेती करना बंद कर दिया है और उन्होंने अपनी जोत का परित्याग कर दिया है। खातेदारान के खातों में गैरमुमकिन अंकित चली आरही भूमि पत्र के अनुसार उनकी भूमि नहीं रही है। इस आधार पर भी प्रार्थीगण किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे।

9. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। मुताबिक रेकर्ड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पठान कोर्ट से काण्डला तक चालू है। सन् 1972 में हाईवे धोषित हुई, सड़क रियासतकाल से चलती आ रही है। स्टेट टाईम में यह कच्ची थी, धीरे–धीरे यह डामर रोड़ बन गई। सड़क के दोनों तरफ ग्रेवल सड़क भी कंकरीट व बजरी से बनी हई है व किलोमीटर के साईन बोर्ड लगे हुए है। सड़क के रकबे पर कृषि कार्य होता हो यह संभव नहीं है। सडक के दोनों तरफ दूर संचार विभाग की तारे भी बिछाई गई है। उक्त रकबा पर सड़क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले से चलती आरही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 60(4) के प्रावधानों के अनुसार भी खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये है। राजस्थान–सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 0510.78 के द्वारा राजमार्ग के दोनों और स्थित पेड़ो (वृक्षों) को संरक्षित वनक्षेत्र माना गया है। वन विभाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वन विभाग को आवश्यक धन राशि जमा करवाई गई है। अतः रास्ते की भूमि कृषि भूमि नहीं है, जिसकी आवाप्ति की आवश्यकता नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा मुआवजे की मांग नहीं की जा सकती। सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग धोषित करने से पूर्व यह अण्डर टेकिंग दी जाती है कि सड़क हेतु कम से कम 30 मीटर भूमि आर.ओ.डब्ल्यू. राज्य सरकार के पास उपलब्ध है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचित होने के पश्चात् भूमि केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है। अतः इस आधार पर भी यह भूमि राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है, जिसका मुआवजा अब देय नहीं है। ऐसी स्थिति में मुआवजा क्लेम हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

10. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

11. आदेश आज दिनांक 06.12.17 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बीकानेर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल गुप्ता)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर